भारतीय मानक ब्यूरो (स्थापना विभाग)

मानक भवन, 9, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002 दिनांक: 20.03.2020

हमारा संदर्भ: Estt-V/जी-3:3/2020

कार्यालय आदेश

निम्नलिखित कर्मचारियों को नीचे दिये गए विवरण के अनुसार स्थानांतरण करने का निर्णय लिया है / It has been decided to transfer the following officials as per details given below:

क्रं. सं.	कर्मचारी सं.	नाम एवं पद	स्थानांतरण	
			से	में
i)	029874	श्री राम प्रकाश, नि. श्रे. लिपिक	DDGN Sectt.	HPBO, Parwanoo
ii)	068314	श्री सचिन बीहान, उ. श्रे. लिपिक	HPBO, Parwanoo	JDBO, Jamshedpur
iii)	064793	श्री राजू अन्गलाकुर्ती, उ. श्रे. लिपिक	VZBO, Vishakhapatnam	BNBO, Bangalore

- 2. उपरोक्त कर्मचारी अपनी पोस्टिंग के अपने वर्तमान स्थान से दिनांक 20 मार्च, 2020 (अपराहन) में कार्यमुक्त होंगे और दिनांक 23 मार्च, 2020 (पूर्वाहन) में पोस्टिंग के अपने नये स्थान पर डयूटी के लिए रिपोर्ट करेंगे। Above employees shall be relieved from their present place of posting in the afternoon of 20 March, 2020 and shall report for duty at their new place of posting in the forenoon of 23 March, 2020.
- 3. उपरोक्त क्र. सं. i) में उल्लेखित कर्मचारी नियमानुसार स्थानांतरण लाभ, जोइनिंग टाइम, आदि पाने के हकदार होंगे। Employee mentioned at Sl. No. i) will be entitled to all transfer benefits i.e. TA, Joining Time, etc. as admissible under the rules.
- 4. उपरोक्त क्र. सं. ii) एंव iii) में उल्लेखित कर्मचारी अपने स्वंय के अनुरोध पर स्थानांतरित किये गये हैं, अतः वे किसी भी स्थानांतरण लाभ, जोइनिंग टाइम, आदि पाने के हकदार नहीं होंगे । Official mentioned at Sl. No. ii) and iii) have been transferred on their own requests, therefore, they shall not be entitled to any transfer benefits i.e. TA, Joining Time, etc.
- 5. उपरोक्त उल्लेखित कर्मचारी अपने स्थानांतरण से पहले सीजीएस कार्ड, किताब/प्रकाशन, यदि कोई हो, जोिक उन्होंने अपने नाम से जारी कराई हैं, तो विभाग को वापस करेंगें। उनके लिये यह आवश्यक है कि वह स्थानांतरित होने से पहले अपने सभी देय समायोजनों जैसे कि चिकित्सा, एल.टी.सी., यात्रा भत्ता, आदि का निपटान संबंधित नियमों और विनियमों के अनुसार करेंगें। Officials mentioned above shall return CGHS Card(s), any book or publication borrowed by them, if any, before their relieving. They are required to settle the due adjustments i.e. TA/DA, LTC, Medical, etc. in accordance with the relevant rules and regulations before relieving.
- 6. उनके लिय यह आवश्यक है कि वह अपनी ड्यूटी ग्रहण रिपोर्ट अपने विभागीय प्रमुख के माध्यम से स्थापना विभाग (<u>estt@bis.org.in</u>) तथा साथ ही एक कॉपी निदेशक (वित्त) को प्रेषित करेंगें। They are required to send their Joining Report through their Departmental Head to Establishment Department (<u>estt@bis.org.in</u>) together with a copy endorsed to Director (Finance), in due course.

7. यह आदेश, सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है। This issues with the approval of Competent Authority.

[Through concerned Departmental Head]

(संदीप मीना) निदेशक (स्थापना)

- i) श्री राम प्रकाश, नि. श्रे. लिपिक
- ii) श्री सचिन बीहान, 3. श्रे. लिपिक
- iii) श्री राज् अन्गलाकुर्ती, उ. श्रे. लिपिक

कापी प्रेषित:

i) DDGS Secretariat DDGE Secretariat ii) iii) DDGN Secretariat iv) Head (HPBO) v) Head (VZBO) vi) Head (JDBO) vii) Head (BNBO) Director (Finance) viii) ix) Director (Accounts) x) Personal File xi) Leave File

It is requested that the leave records of the concerned officials may please be sent to their new place of posting.